

सुनीता वर्मा बनाम राजा साहू

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

केस संख्या विराटनगर (जयपुर) 12/2018

आज्ञा क्रमांक U/S 13(4)



दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

22-3-18 वकील प्रार्थी उषा चैते कमल साहू उषा गत आदेश की पालना में दिनांक 19-4-18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

19-4-18 वकील प्रार्थी उषा चैते कमल साहू उषा गत आदेश की पालना में दिनांक 26-4-18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

26-4-18 वकील प्रार्थी उषा चैते कमल साहू उषा वस्ति पेश होने साथ सख्त गान देनागत दिनांक 06-6-18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

6/6/18 सुनीता योगी राजा योगी

पनावली नाम कापडे इतर कार्रवाई के दौरान जॉब्यूला गज. प. म. पेरा दुरी उमर पर उदासीन। जाभीका का विवरण रखा कि

सि. साकिनी (भाना)

उका नाम काधा, कापशाह इलाकी कारो में कलम है तथा राजस-रिकार्ड में पूर्णतः कलम नाम ही कतः

फर्द अहकाम

सुनीता रथ

बनाम

राज सरकार

दालय

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर (जयपुर)

18/8/18

Group U/S 136 LRA Act

या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

काद्याल, नामांशा ६ एन' ३०५
 दफ्ताराने के काद्याल फल रिजल
 रिजल के दुबली चाही गरी
 गवाब कराल एव' LR Act
 की धारा 136 के प्राधान्य के
 अवलोकन किया गया।

परीक्षा उपरान्त निम्न रिजल
 गारा है कि प्राथमिक वी नम
 रागत रिजल के फलान्त के
 सुनिता के काद्याल नामांशा
 के रागत रिजल के क' रिजल
 हुआ है निम्नो LR Act धारा
 136 के दुबल नही किया
 जा सकता है।

केल प्रकरण खारिज
 किया गारल निम्न फल
 काय हुगत हुए परावली नम
 के कय कर दाखिल दफ्तार एव'
 का कापरा किया गया।



मीताजीन अधिकारी